

## चीन ने पाकस्तान मूल के आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव रोका

संयुक्त राष्ट्र द्वारा पाकस्तान मूल के LeT आतंकियों को वैश्विक आतंकी के रूप में नामित करने या फरि ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव पर चीन ने रोक लगा दी है, यह अंतरराष्ट्रीय समुदायों के लिये गंभीर चिंता का विषय है।

- सितंबर 2022 में चीन ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पेश किये गए इस प्रस्ताव को विचाराधीन रखने का फैसला लिया था।

### चीन के फैसले से संबंधित चिंताएँ:

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पेश किये गए प्रस्ताव का उद्देश्य [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति](#) के तहत 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल होने के मामले में एक वांछित व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट करना था।
- यह पहली बार नहीं है जब चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के तहत पाकस्तान स्थित आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव पर रोक लगाई है।
- चीन ने वर्ष 2009, 2016, 2017 में भी आतंकवादी गतिविधियों में लपित पाकस्तानी आतंकवादियों को लक्षित करने वाली सूचियों की लगातार अनदेखी की है।
  - चीन द्वारा इस प्रकार की कार्रवाइयाँ, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मामले में पाकस्तान के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है, उन देशों के लिये चिंता का विषय है जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं।
  - यह आतंकवाद से संबंधित संवेदनशील मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आम सहमति हासिल करने की चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है।

### 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति:

- यह समिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा है तथा इसका काम आतंकवादियों के वरिद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना है।
  - समान भूमिका वाली अन्य दो समितियाँ [आतंकवाद निरोधी समिति](#) और [सुरक्षा परिषद समिति](#) हैं।
- सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 में अल-कायदा और तालबान को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने के बाद 15 अक्टूबर, 1999 को अल-कायदा प्रतिबंध समिति की स्थापना अल-कायदा और तालबान प्रतिबंध समिति के रूप में की गई थी।
  - वर्ष 2011 में तालबान के संबंध में एक अलग समिति बनाई गई थी।
- समिति शासन के तहत कोई भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश किसी व्यक्ति या समूह का नाम आतंकवादी के रूप में नामित करने का प्रस्ताव कर सकता है।
  - 1267 प्रतिबंध समिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिये जाते हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य शामिल होते हैं।
  - समिति का कोई भी सदस्य ब्लैकलिस्ट करने हेतु लिए गए प्रस्ताव को आपत्तितरज कर या "टेक्निकल होल्ड" के माध्यम से रोक सकता है।
- आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किसी व्यक्ति या संस्था की संपत्ति जब्त करने के साथ ही वह यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन है।

# संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council-UNSC)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व UNSC में

## परिचय

- संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक; संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में स्थापित

## मुख्यालय

- न्यूयॉर्क सिटी

## पहला सत्र

- 17 जनवरी, 1946 को चर्च हाउस, वेस्टमिंस्टर, लंदन में

## सदस्यता

- 15 सदस्य- 5 स्थायी सदस्य (P5), 10 गैर-स्थायी सदस्य दो साल के कार्यकाल के लिये चुने गए (प्रत्येक वर्ष 5 का चुनाव किया जाता है)
- P5- अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन

## UNSC की अव्यवस्था

- 15 सदस्यों के बीच प्रत्येक माह चारी-चारी से
- वर्ष 2022 के लिये भारत की अध्यक्षता-निसंबर

## मतदान शक्तियाँ

- 1 सदस्य - 1 मत/वोट
- P5 देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है वीटो पावर है
- UN के ऐसे सदस्य जो UNSC के सदस्य नहीं हैं, मतदान के अधिकार के बिना इनके सत्र में भाग लेते हैं

## UNSC समितियाँ/प्रस्ताव

- आतंकवाद:
  - संकल्प 1373 (आतंकवाद रोधी समिति)
  - संकल्प 1267 (राष्ट्र और अल कायदा समिति)
- अप्रसार समिति:
  - संकल्प 1540 (परमाणु, रासायनिक और बैक्टीरियल हथियारों के विरुद्ध)

## भारत और UNSC

- गैर-स्थायी सदस्य के रूप में 7 बार सेवा; 2021-22 में 8वीं बार चुना गया; स्थायी सीट की मांग
- स्थायी सीट के लिये तर्क:
  - 43 शांति मिशन
  - मानवाधिकार घोषणा (UDHR) को तैयार करने में सक्रिय भागीदार
  - भारत की जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक प्रणाली आदि।

**G4** चार देशों (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान) का समूह जो UNSC में स्थायी सीटों के लिये एक दूसरे की ताबेदारी का समर्थन कर रहे हैं

## United Nations Security Council

Composition through 2022



## “मतैक्य के लिये मिलकर काम करना” आंदोलन (Uniting for Consensus-UIC Movement)

- अनौपचारिक रूप से इसे कोफ़ी अन्नान के रूप में जाना जाता है
- देश UNSC स्थायी सीटों के विस्तार का विरोध करते हैं
- समूह के प्रमुख देश- इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान
- इटली और स्पेन जर्मनी की दावेदारी का; पाकिस्तान- भारत की दावेदारी का; अर्जेंटीना-ब्राजील की दावेदारी का और ऑस्ट्रेलिया-जापान की दावेदारी का विरोध कर रहे हैं

## UNSC के समक्ष बड़ी चुनौतियाँ

- संयुक्त राष्ट्र के सामान्य नियम UNSC विचार-विमर्श पर लागू नहीं होते हैं; बैठकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है
- UNSC में पावरले; P5 की अराजकतावादी वीटो शक्तियाँ
- P5 के बीच महान ध्रुवीकरण; लगातार मतभेद प्रमुख निर्णयों को अवरुद्ध करता है
- विश्व के कई क्षेत्रों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व



## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और शेष 10 सदस्य महासभा द्वारा कतिनी अवधि के लिये चुने जाते हैं? (2009)

- (a) 1 वर्ष
- (b) 2 वर्ष
- (c) 3 वर्ष
- (d) 5 वर्ष

उत्तर: (b)

[स्रोत: द हिंदू](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/china-blocks-proposal-to-blacklist-pakistan-based-terrorist>

